

**हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
**हडको भवन, आई.एच.सी. लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003**

सं. F.HUDCO/MSME-Admn./2015

21 नवम्बर, 2016

**विषय: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति(एमएसई) आदेश 2012 का प्रभावी कार्यान्वयन**

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित खरीद दिशानिर्देशों का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में, वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित खरीद लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में 6 मई 2015, 15 दिसंबर 2015, 8 अप्रैल 2016, 14 जुलाई 2016, 1 अगस्त 2016 और 22 सितंबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ दिया जाता है। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने अभी तक अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। इस संबंध में, यह भी उल्लेखनीय है कि हडको निदेशक मंडल ने 23 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी 568<sup>वीं</sup> बैठक में 20% के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए निर्धारित लक्ष्य अर्थात् 4% को प्राप्त करने के संबंध में, मद संख्या 568.22 के तहत सलाह दी है कि एमएसएमई के संबंध में सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाए और अनुपालन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी: "हडको द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) दिशानिर्देशों का अनुपालन, कुल 20% खरीद लक्ष्य में से 4% का उप-लक्ष्य निर्धारित करके, एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई से खरीदा जाना और अलग निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एससी/एसटी उद्यमियों के लिए खरीदी जाने वाली कुल मात्रा का 4% अलग रखने की संभावना तलाशी जाए।

तदनुसार, निर्देशों को मुख्यालय स्थित सभी विभागों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के ध्यान में लाया जाता है ताकि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सके और कार्यकारी निदेशक (एचआरएमए) मुख्यालय को सूचित किया जा सके। सभी पंजीकृत आयुक्त/विभागाध्यक्ष एमएसएमई पंजीकृत फर्मों से की गई खरीद की मात्रा की सूचना देंगे, जिसमें 4% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी शामिल हैं।

इसके अलावा, हडको और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 2 के अनुसार, सीपीएसई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के आदेश का पालन करना होगा, जो दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को जारी डीओ.सं. 2(1)/2011-एम.ए. के तहत जारी किया गया था, और उपरोक्त आदेश का पालन न करने पर 1 अंक तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी संबंधित विभागाध्यक्षों/संशोधन समितियों से अनुरोध है कि वे संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी 30 नवंबर, 2016 तक प्रस्तुत करें।

योगेश सक्सेना  
उप महाप्रबंधक (ए)

प्रतिलिपि:

1. सभी कार्यपालक निदेशक
2. सभी क्षेत्रीय प्रमुख/महाप्रबंधक - इस विषय पर तत्काल कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ।
3. कंपनी सचिव।
4. महाप्रबंधक (आईटी) - हडको इंटरनेट पर पोस्ट करने हेतु।
5. एचएसएमआई/आरओ-एनसीआर।
6. उप महाप्रबंधक (राजभाषा) - हिंदी संस्करण हेतु।
7. ओओ फ़ाइल।

Name of Department/RO.....

Requisite information on procurement from MSME during the year 2016-17 and annual procurement plan for 2017-18.

S.No.	Particulars/List of items procured/ Planned.	2016-17 (Indicate the value – Rs.)	2016-18 (Indicate the value – Rs.)
01.	<p>Total Annual Procurement (in value).</p> <p><b>Items (Procurement &amp; Services):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tea/ Coffee.</li> <li>b) Furniture &amp; Fixture.</li> <li>c) All Office Equipments (including Electrical &amp; Electronics items, Telephones, Fax Machines, EPABX System, water filter etc).</li> <li>d) Printing &amp; Stationery, Calculators.</li> <li>e) Housekeeping.</li> <li>f) Repair &amp; Maintenance of Vehicles.</li> <li>g) Booking of Air/Rail Tickets.</li> <li>h) Hiring of Taxis/Buses.</li> <li>i) AMC of Office equipments.</li> <li>j) Gifts &amp; Mementos,</li> <li>k) Bags. (for seminars/conferences &amp; meeting), Office Bags, Brief case.</li> <li>l) Photocopier Machine.</li> <li>m) Medical Equipment.</li> <li>n) Copper Plaque.</li> <li>o) Biometric Machines.</li> <li>p) Purchases during HUDCO Annual Sports day Celebrations (indicate the items/services procured).</li> <li>q) Purchase during HUDCO Annual Day Celebrations (Indicate the items/services procured).</li> <li>r) Any other items not indicated above should be mentioned with value of purchase.</li> <li>s) Panels etc.(for exhibition/ trade fare).</li> <li>t) IT Items: Computers, Printers, Laptop, Scanners, Multifunction Units.</li> <li>u) Computer Consumable like CD's, DVD's Pen Drives, USB etc.</li> <li>v) AMC of Computers &amp; Printers.</li> <li>w) Internet Services- Leased Lines, Broadband/FTTH, WAN Connectivity (MPLS) services.</li> <li>x) Purchase of Server Backup, Storage etc. Network &amp; Security equipments.</li> <li>y) Purchase of SUN Server</li> <li>z) Purchase of High Capacity UPS.</li> <li>aa) Manpower Services, Consultancy Services.</li> </ul>		

: 2 :

02.	Total value of goods and services procured from MSEs (including MSEs owned by SC/ST enterprises). – Attach list of items procured (separately).		
03.	Total value of goods and services procured from only MSEs owned by SC/ST enterprises. (Attach list of Items procured).		
04.	% age of procurement from MSE (including MSEs owned by SC/ST enterprises) out of total procurement.- attach list of items procured.		
05.	%age of procurement from only MSEs owned by SC/ST enterprises out of total procurement.(attach list of items attach).		

Signature.

Name & Designation of Dealing Officer

Dept./RO.....

**AS per MSME Letter dated 9<sup>th</sup> November, 2016 (Clarification):**

Sl.No.	<b>“Goods” – list of items as per public procurement Bill 2012 prepared by MoFin.</b>	<i>Procurement of Items in HUDCO.</i>
01.	Articles, Materials, Commodity, Livestock, furniture, fixture, raw material, spare parts, instruments, machinery, equipment, industrial plant, vehicles, aircrafts, ships, railway rolling stock assemblies, sub-assemblies, accessories, a group of machines comprising an integrated production process or such other categories of goods or intangible, products like technology transfer, licenses, patents or other intellectual properties (excludes books, publications, periodicals etc., for a library), transportation, insurance, installation, commissioning, training and maintenance.	
	<b>“Services”</b>	
02.	Includes, any subject matter of procurement other than goods or works, except those incidental or consequential to the service, and includes physical, maintenance, professional, intellectual, training, consultancy and advisory services or any other service classified or declared as such by a procuring entity but does not include appointment of an individual made under any law, rules, regulations or order issued in this behalf. <b>“Subject matter of procurement” means any item of procurement whether in the form of goods, services or works or a combination thereof.</b>	